



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग)

कार्यालय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण,

Reaccredited by NAAC with Grade A

क्र. ५८५ /अ.छा.क./2021
प्रति,

रायपुर, दिनांक १९/०२/२०२१

विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- छात्र कल्याण कोष (Student Welfare Fund) से निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने बाबत।

—०००—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत छात्र कल्याण कोष (Student Welfare Fund) सत्र 2020-21 हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, के अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत निर्धन छात्रों जिन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता अन्य संस्थाओं या विभागों से प्राप्त नहीं होती है उन्हें छात्र कल्याण कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सत्यापित प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग में दिनांक 10.03.2021 तक जमा करने हेतु छात्रों को सूचित करने का कष्ट करें।

1. छात्र का आवेदन पत्र (विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित)।
2. शुल्क जमा की गई रसीद की मूल प्रति या विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
3. आय प्रमाण पत्र वार्षिक, मूल प्रति या विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
4. अध्ययनशाला द्वारा जारी परिचय पत्र की छायाप्रति।
5. बी.पी.एल. राशन कार्ड की विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
6. पटवरी या पार्षद का प्रतिवेदन, मूल प्रति या विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
7. छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र, विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
8. जाति प्रमाण पत्र, विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित छायाप्रति (यदि हो तो)।
9. समस्त अंकसूचियों की छायाप्रति।
10. रूपये 10 के नानजुड़िसीयल स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र कि उन्हे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अन्य संस्थाओं या विभागों से प्राप्त नहीं होती है का उल्लेख हो।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें तथा व्यापक प्रचार हेतु एक प्रति अध्ययनशाला के सूचना पटल पर भी चर्चा किया जावे।

१९.२.२१
कुलसचिव

पृ.क्र. ५८६ /अ.छा.क./2021

रायपुर, दिनांक १९/०२/२०२१

प्रतिलिपि :-

कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण